राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 880/2012/जैसलमेर.

सुजलोन गुजरात विन्ड पार्क लि0 अहमदाबाद
कार्यालय–5, श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. .....प्रार्थी.

बनाम

राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक, जैसलमेर. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/04/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–जोधपुर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 09/2010 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.12.2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में ग्राम गणेशदास की ढाणी, धावा, पीठला, सत्ता, मुंडेर्डी व देढ़ा, तहसील व जिला जैसलमेर की 1242.01 बीघा (210.07 हैक्टर) भूमि की लीज 30 वर्ष की अवधि के लिये रिन्यूबल एनर्जी सोर्स के पॉवर प्लांट की स्थापना के लिये निष्पादित की गयी। उक्त दस्तावेज उप–पंजीयक जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर उप–पंजीयक ने लीजडीड पर देय मुद्रांक/पंजीयन वसूल की जाकर दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् महालेखाकार जांचदल के निरीक्षण में लीज अवधि 30 वर्ष होने से एवं किराया राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर दो वर्ष की औसत किराया राशि + प्रीमियम + प्रथम एक वर्ष की किराया राशि पर मुद्रांक/पंजीयन की देयता का आक्षेप करते हुए हस्तगत दस्तावेज में अन्तर राशि रूपये 12,77,656/– पर मुद्रांक शुल्क की देयता नहीं होने का आक्षेप करते हुए प्रकरण में रूपये 85,260/– की राजस्व हानि बताई गई। महालेखाकार जांचदल के उक्त आक्षेप की पालना में उप–पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(2) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेंस प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश से रेफरेंस स्वीकार करते हुए प्रार्थी कम्पनी से कमी मुद्रांक शुल्क व शास्ति सहित कुल रूपये 85,500/– का आरोपण आदेश दिनांक 23.12.2011 से किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा पवन ऊर्जा के संयत्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि लीज पर दी गयी है, जिस पर नियमानुसार मुद्रांक/पंजीयन अदा किया जाकर दस्तावेज का पंजीयन करवाया गया है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि महालेखाकार जांचदल द्वारा दो वर्ष की औसत किराया राशि रूपये 12,77,565/– बताई गई है जबकि उप–पंजीयक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित रेफरेंस में बिना किसी आधार के राशि रूपये 48,15,740/– प्रस्तावित कर दी गयी। कलेक्टर (मुद्रांक) ने भी उसी अनुसार राशि का निर्धारण करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध मांग कायम कर दी गयी। इस प्रकार उप–पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेंस एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि ऑडिट द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज की मालियत रूपये 48,15,740/– बताते हुए, दस्तावेज रूपये 35,38,084/– पर पंजीबद्ध होने एवं अन्तर राशि रूपये 12,77,656/– पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण होने से रह जाने का आक्षेप किया गया है। उसी अनुसार उप–पंजीयक द्वारा रेफरेंस प्रेषित किया गया है एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रेफरेंस स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये किया गया है, जिसका प्रार्थी द्वारा उप–पंजीयक द्वारा निर्धारित मुद्रांक/पंजीयन वसूल अदा किया जाकर पंजीयन करवाया गया है। महालेखाकार जांचदल द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज को लीजडीड दस्तावेज ही माना गया है, जिसकी प्रिमियम राशि + दो वर्ष की औसत किराया राशि + प्रथम एक साल की किराया राशि कुल रूपये 48,15,740/– पर मुद्रांक/पंजीयन की देयता का आक्षेप किया गया है। प्रार्थी द्वारा पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये

लगातार.....3

जाने पर दस्तावेज की मालियत रूपये 35,38,084/– निर्धारित करते हुए मुद्रांक/पंजीयन की वसूली की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज के पंजीयन में स्पष्ट रूप से रूपये 12,77,656/– पर देय मुद्रांक शुल्क वसूल किया जाना अवशेष रहता है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा उक्त राशि पर मुद्रांक शुल्क व शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन) 21/4/2017
सदस्य